न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी **चेतन देवड़ा,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 25/2019 (निर्वाचन अपील)
पंजीयन दिनांक 30.12.2019

1-नारायणलाल पिता जवाहर लाल जाति जाट, उम्र 45 वर्ष, निवासी मान सिंह जी का खेड़ा हाल निवासी तितरडी मजरा लालास, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़
2-सुखी देवी पत्नि नारायणलाल जाट उम्र वयस्क निवासी मान सिंह जी का खेड़ा हाल निवासी तितरडी मजरा लालास, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़
3-पिंकी पुत्री नारायणलाल जाट उम्र वयस्क निवासी मान सिंह जी का खेड़ा हाल निवासी तितरडी मजरा लालास, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलार्थीगण

बनाम

1-शंकरलाल पिता लेहरूलाल जाति जाट, उम्र वयस्क
2-मोहनलाल पिता उदयराम जाति जाट, उम्र वयस्क
3-गणेशलाल पिता प्रभु जाति जाट, उम्र वयस्क
4-राजमल पिता भीमराज जाति जाट, उम्र वयस्क
5-प्रभुलाल पिता देवा सालवी उम्र वयस्क
सभी निवासी लालास, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़

–विपक्षीगण

अपील विरूद्ध आदेश निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एसडीओ) गंगरार, आदेश दिनांक 19.12.2019 अन्तर्गत नियम 21 राज. पंचायती राज (निर्वाचन नियमावली 1994)

न्यायालय जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

उपस्थितिः 1-श्री रतन लाल जाट, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2-पैरोकार सरकार

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

दिनांक 31.12.2019

प्रस्तुत प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है अपीलार्थीगण द्वारा ग्राम मानसिंह जी का खेडा से नाम हटाने हेतु तथा ग्राम तितरडी मजरा लालास में नाम जुडवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर बी. एल. ओ. की अनुशंषा के बावजूद निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी ने रेस्पोडेन्ट्स के आपत्ति पत्र पर पुनः पटवार हल्का लालास को अधिकृत कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया तथा पटवार हल्का लालास की मौका पर्चा रिपोर्ट के आधार पर बिना किसी जांच

31/12/19
जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

पडताल के दिनांक 19.12.2019 को नियमित निवास सिद्ध होना सन्देहास्पद बताते हुए तितरडी मजरा लालास की निर्वाचन सूची में नाम दर्ज नहीं करने का आदेश पारित किया जो निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलार्थीगण का नाम तिंतरडी मजरा लालास की निर्वाचन सूची में जुडाये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (पंचायत) एस. डी. एम. गंगरार से संबंधित अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलार्थीगण का मुख्य कथन यह रहा कि अपीलार्थीगण द्वारा दिनांक 12.12.2019 को ग्राम मानसिंह जी का खेडा से नाम हटाने हेतु तथा दिनांक 13.12.2019 को ग्राम तितरडी मजरा लालास में नाम जुडवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर बी. एल. ओ. ने अपीलार्थीगण का नाम ग्राम मानसिंह जी का खेड़ा तत्कालीन ग्राम पंचायत लालास के बजाए वर्तमान ग्राम पंचायत क्षेत्र कुंवालिया में सम्मिलित हो जाने के पश्चात् निर्वाचन शुद्धि पत्र के जरिए तितरडी मजरा लालास के क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने की अनुशंषा की। रेस्पोडेन्ट्स के आपत्ति पत्र पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकरी ने पुनः पटवार हल्का लालास को अधिकृत कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया तथा पटवार हल्का लालास ने पंचायत के सचिव की उपस्थिति में अपने मनमाने तौर पर मौका पर्चा रिपोर्ट बना कर अस्पष्ट एवं अपूर्ण रिपोर्ट निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के यहां दिनांक 16.12.2019 को प्रस्तुत की जिस पर बिना किसी जांच पडताल के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी ने पत्रावली में उपलब्ध बी. एल. ओ. द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किये बिना ही दिनांक 19.12.2019 को निवास (नियमित) सिद्ध होना सन्देहास्पद बताते हुए मजरा तितरडी की निर्वाचन सूची में नाम दर्ज नहीं करने का आदेश पारित कर दिया। बी. एल. ओ. द्वारा जांच कर तैयार पत्रावली में सभी दस्तावेजी साक्ष्य मौजूद होते हुए भी ध्यान नहीं देकर अपीलार्थीगण का नाम तितरडी मजरा लालास में अंकित करने में असहमति जताने की वैधानिक त्रुटि की है। अतः अपील स्वीकार कर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, गंगरार का आदेश निरस्त करते हुए अपीलार्थीगण का नाम तितरडी मजरा लालास की निर्वाचन सूची में दर्ज कराने का आदेश प्रदान करावें।

पैरोकार सरकार का मुख्य कथन यह रहा कि अपीलार्थीगण के ग्राम तितरडी मजरा लालास में निवास के दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में तथा पटवार हल्का लालास की रिपोर्ट के आधार पर तितरडी में निवास संदेहास्पद होने से नाम नहीं जोडा गया है जो वास्तविक तथ्यों पर आधारित है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

जिला कलेक्टर
चित्तौडगढ

Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या 25/2019 (निर्वाचन अपील)
नारायणलाल पिता जवाहर लाल जाट निवासी मानसिंह जी का खेडा हाल तितरडी मजरा लालास तहसील गंगरार वगैरा बनाम शंकरलाल पिता लेहरूलाल जाट निवासी लालास तहसील गंगरार वगैरा

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अपीलार्थीगण ग्राम मानसिंह जी का खेड़ा में निवास नहीं करना व्यक्त कर, अपना नाम ग्राम मानसिंह जी का खेड़ा से हटवाना चाहते हैं तथा अपने को तितरडी का निवासी मानते हुए तितरडी मजरा लालास में अपना नाम सम्मिलित करवाना चाहते हैं। दौराने बहस अपीलार्थीगण की ओर से तितरडी मजरा लालास में रहने की पुष्टि में राशन कार्ड, आधार कार्ड एवं श्री बाबूलाल पिता लालू जी बणजारा निवासी तितरडी के मकान में किराये पर रहने संबंधी किरायानामा की प्रति प्रस्तुत की।

उक्त अभिलेख/दस्तावेजों का अवलोकन करने पर निर्विवाद रूप से स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण का राशन कार्ड दिनांक 26.11.2019 का बना हुआ है तथा आधार कार्ड में निवास परिवर्तन/अद्यतन करने हेतु दिनांक 09.12.2019 को अनुरोध किया गया है साथ ही जो किरायानामा प्रस्तुत किया है वह भी दिनांक 13.12.2019 को निष्पादित किया गया है।

रेस्पोडेन्ट्स द्वारा प्रस्तुत शिकायत के आधार पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (पंचायत) एस. डी. एम. गंगरार द्वारा पटवारी हल्का लालास से जांच करवाने पर भी पटवारी हल्का लालास द्वारा प्रस्तुत मौका पर्चा अनुसार अपीलार्थीगण का स्वयं का मकान ग्राम मानसिंह जी का खेड़ा में होना तथा ग्राम तितरडी में निवास करने पर सन्देह होना प्रकट किया है एवं इस आधार पर ग्राम तितरडी मजरा लालास में नाम जोड़ने का आवेदन अस्वीकार किया है।

अपीलार्थीगण द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे पंचायत पुनर्गठन की अधिसूचना जारी होने की दिनांक 15.11.2019 से पूर्व उनके तितरडी मजरा लालास में निवास करने की पुष्टि होती हो तथा जो दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं वे सभी अधिसूचना जारी होने की दिनांक के पश्चात् के हैं जो अपीलार्थीगण के आवंटित स्थान तितरडी मजरा लालास में उसके सामान्य निवास को प्रमाणित नहीं करते हैं एवं पंचायत पुनर्गठन के पश्चात अनुचित लाभ प्राप्त करने की नियत से तैयार कराना प्रतीत होते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से उनके तितरडी मजरा लालास में निवास सुस्पष्ट सिद्ध नहीं पाया जाने से प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (पंचायत) एस. डी. एम. गंगरार द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.12.2019 यथावत रखा जाता है।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

न्यायालय जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

(चेतन देवड़ा)
जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Chetan Ram Deora
Date: 2020.01.13 19:24:48 IST
Reason: SelfAttested
Location: